task of upgradation of certain coal mines in the State of Bihar for supply of various grades of Coal to Visakhapatnam Steel Plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Coal from the Bihar mines is yet to commence supply to Visakhapatnam Steel Plant; and

(d) if so, what are the reasons thereof, and what action has been taken by Government to ensure supply of Coal from Bihar to Visakhapatnam Plant?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Coal India Limited has the overall responsibility of supplying requisite grades of indigenous coal to Visakhapatnam Steel Plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited. Parej Opencast Project in Bihar has been sanctioned at a cost of Rs. 116.19 crores for a capacity 1.75 million tonnes per annum. Besides other projects like Jharkhand Opencast Project (capacity 1.0 million tonnes per annum). Topa reorganisation Project (capacity 1.2 million tonnes per annum) and Kathara reorganisation Opencast Project (capacity 1.8 million tonnes per annum) are in the pipe-line.

(c) At present approximately 70,000 tonnes of coal per month is being supplied to Visakhapatnam Steel Plant from Gidi and Swang Washeries in Bihar and these washeries receive raw coal from West Bokaro coalfield in Bihar.

(d) Does not arise in view of (c) above.

Expansion of Coal production in Singareni Collieries in A.P.

292. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to expand Coal production at Singareni Collieries in Andhra Pradesh during the year 1994-95;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what other steps have been proposed by Government to expand the mines during the 8th Five Year Plan in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Yes Sir. The target for SCCL for 1993-94 is 24 m.t. For the year 1994-95, the target is yet to be finalised in consultation with Planning Commission. It is likely to be 25.50 m. t.

(c) While formulating 8th Five Year Plan, the Planning Commission has indicated a production level of 33 m.t. to be achieved by SCCL by 1996-97. This is expected to be realised from following sources:

(In M.T.)

(i) Existing mines/completed project	12.32
(ii) On-going projects	15.93
(iii) New Projects	4.75
TOTAL	33.00

This realisation will, however, depend on adequate nvestments flowing to SCCL during subsequent years.

293. [*Transferred to 14th December 1993*]

रांची स्थित बढ़ोरी में कोयले के भंडार में हेरा फेरी

294. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के बढ़ोरी प्रोजेक्ट में उत्पादित कोयले-भंडार में संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से कोयले में मिट्टी और पत्थर मिलाकर नियमित रूप से हेरा फेरी की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष, 1992-93 में कोयला उत्पादन के 30.80 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कोयला-भण्डार में केवल 2.16 लाख टन कोयला पाया गया;

(ग) क्या सरकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के बढोरी प्रोजेक्ट में कोयला भंडार के उत्पादन तथा उसके भार में की गई धांधली की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी० सी० एल०) में बधारी परियोजना नामक कोई परियोजना विद्यमान नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने यह भी उल्लेख किया है कि कोयला से संबंध अधिकारियों की मिलीभगत के साथ सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टॉकों में रेत तथा मिट्टी मिलाने संबंधी हेरा फेरी की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिहार में कोयले का अवैध रूप से खनन

295 श्री गया सिंह: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड की बिहार स्थित कितनी कोयला खानों में अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० (को० इ० लि०) की बिहार में कार्यरत 3 कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार असामाजिक तत्वों तथा बदमाश व्यक्तियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगीरी किए जाने के संबंध में कुछ मामले बिहार के 40 स्थानों से ऐसे मामले नोटिस में आए हैं। जिसमें बंद पड़ी ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों से छुटपुट रूप में कोयले का गैर कानूनी रूप में उत्खनन किया जाना शामिल है। इन स्थानों में दामोदर नदी तल की कोयला के विनिर्दिष्ट क्षेत्र, दृश्यांश, बंद पड़ी, समाप्त हुई ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानें शामिल हैं।

(ख) कोयले के गैर-कानूनी रूप से किए जा रहे खनन क्रियाकलापों को रोके जाने तथा बंद किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) जहां तक संभव होता है बंद पड़ी सभी भूमिगत खानों के प्रवेशों को व्यक्तियों की पहुंच से रोकने के लिए ठीक तरह से सील कर दिया जाता है।

(2) बंद पड़ी ओपनकास्ट खानों में विनिर्दिष्ट बैचों को ऊपरी मलबे से ढक दिया जाता है।

(3) कोयला कम्पनियों के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों द्वारा गैर कानूनी रूप से किए गए जा रहे खनन कार्य को रोकने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं।

(4) जिला प्राधिकारियों के साथ निकटतम संपर्क तथा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि गैर-कानूनी रूप से किए जा रहे उत्खनन कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग तथा सहायता ली जा सके, जिसमें संयुक्त रूप से मारे जाने वाले छापे शामिल हैं।

(5) खनन क्रियाकलापों में गैर-कानूनी रूप से अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को जब पकड़ा जाता है तो उन्हें जिला प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(6) सूचना प्राप्त किए जाने के आयोजन से तथा छापे मारे जाने के लिए आसूचना स्रोतों/मुखबिर व्यवस्था को प्रोन्नत तथा बनाए रखना।

(7) जिला प्राधिकारियों को गैर-कानूनी रूप से हो रहे खनन के मामलों की रिपोर्ट करना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना।

(8) इलेक्ट्रानिकी संचार नेटवर्क का अनुरक्षण तथा विकास करना।